हक़कर्तव्य

युवा कर्तव्य और हक़ की प्रारूप घोषणा - *Version 2*

5 min — *Reading Time*

7-10 min — *Response Time*

देश की बढ़ती युवा आबादी से राष्ट्र निर्माण और इसका स्वरूप तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा है। लेकिन यह कर्तव्य तभी पूरा हो सकता है जब हम सही स्थान, संदर्भ और नैरेटिव का निर्माण करें जिसमें युवा माध्यम हो, महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें और दुनिया में बदलाव लाने के साथ अपनी क्षमता तक पहुंच सकें। इसको ध्यान में रखते हुए हमने युवा हक़ या कर्तव्य की प्रारूप घोषणा की 'सह-रचना' की है। इस प्रक्रिया को 'ओपन आर्किटेक्चर मॉडल' ले द्वारा जारी रखा जा रहा है और हम आपके योगदान की अपेक्षा करते है - युवा, व्यसक, संगठन और अनौपचारिक समूह के रूप में क्यूंकि इसी अंतर्पीढिया संवाद में एक सच्चे व सतत दुनिया के बीज छुपे है।

प्रसंग और प्रक्रिया

अपने आसपास नज़र डालिए, आपको महसूस होगा कि पूरी दुनिया में और भारत में हो रहे हर सकारात्मक बदलाव के पीछे युवा नेतृत्व की भूमिका रही है। कोविड-19 संकट में युवा नेताओं की भूमिका से तो किसी को इंकार नहीं होगा। इसी तरह, पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालों के परिसरों में परिवर्तन लाने की मुहिम न सिर्फ जीवंत बनी हुई है बल्कि वह बेहद प्रभावशाली भी साबित हुई है, और इसी तरह अनेक सामुदायिक सामाजिक संगठनों तथा सरकार द्वारा शुरू किए गए युवा नागरिकता आंदोलनों में भी युवाओं की सक्रिय भूमिका रही है। कई मायनों, युवा इसे ही जागरूक होने के अवसर के तौर पर गिनाते हैं, और इस तरह हर दिन नए जागरिक (जागरूक +नागरिक) पैदा होते हैं। यहां तक कि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि धरती ग्रह की रक्षा की
लड़ाई भी वे बच्चे लड़ रहे हैं जो अभी स्कूलों में है। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन भी युवा नेतृत्व और युवा जुड़ाव का एक और उदहारण है। इसी तरह, दुनियाभर में राष्ट्राध्यक्षों की उम्र भी दिन-प्रतिदिन घट रही है।

युवाओं की ज्ञान तक पहुंच में तेजी के साथ, वे अब अधिक स्वछंद, जागरूक, निर्णायक और आकांक्षी हैं। यह एक दुर्लभ मोड़ है, जोह में उस जनसांख्यिकीय लाभांश की सोच से परे ले जा सकता है जिसने आज के युवा संवाद में पैठ बना रखी है। समाज ने भारत के राष्ट्र-निर्माण का नेतृत्व करने के लिए युवा लोगों की अपार अपेक्षाएं रखी हैं। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हम एक राष्ट्र की तरह युवाओं के लिए एक सक्रिय वातारवण बनाए।

युवा हक़ या कर्तव्य की प्रारूप घोषणा भारत के सविधान के मूल्यों और मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को पूरा करता है और उसपे खरा उतरता है। इसका लक्ष्य इस राष्ट्र के विशाल युवाह समूह के लिए खास अधिकारों और कर्तव्यों को उजागर करना है। हम मानते है ये अधिकार और कर्तव्य संविधान में अंतर्निहित है लेकिन एक युवा आंदोलन के लिए इनको मुखर करना ज़रूरी है। बिलकुल उसी तरह जैसे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ़ राइट्स ऑफ़ चाइल्ड ने किशोरों और किशोरिओं के अधिकारों को साझा किया।

यह प्रकिया वार्तालीप गठबंधन के द्वारा आरम्भ किया गया है। वार्तालीप गठबंधन एक क्रॉस-सेक्टोरल, विशाल संयुक्त अनुभव के साथ सह-शिक्षा के लिए बना सहयोगी स्थान है जो युवा-केंद्रित विकास को हाशिए से आगे बढ़ाने के लिए ' प्रत्येक युवा एक जागरिक' के संवाद को स्कोल (Scoul) (स्केल विद सोल (scale with soul) के साथ आगे बढ़ा रहा है और युवाओं के अधिकारी वाली प्रत्येक जगह और युवाओं को प्रभावित करने वाली जगहों तक इसे पहुंचा रहा है। युवा कर्तव्य या हक़ की प्रारूप घोषणा की 'सह-रचना' १०० से अधिक लोगों और संस्थानों द्वारा की गई है। हालाँकि एक लम्बी सूचि सामे आई थी पर संगठन ने अभी तीन कर्तव्यों और तीन अधिकारों को प्राथमिकता देने का निर्णय किया। भविष्य में और भी कर्तव्य और अधिकार इसमें जुड़ सकते है। ये प्रक्रिया सभी नागरिको से इंगेजमेंट और योगदान की अपेक्षा रखता है और हम आपके इस मिशन से जुड़ने लिए उत्साहित है।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया घोषणा को पढ़ें, सिद्धांत रूप में मिशन का समर्थन करें और नए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों, ग्राफिक्स, चित्रों और केस स्टडी और संबंधित कहानियों के ज़रिए योगदान करके घोषणा में जोड़ें, जहां आपने इन अधिकारों और कर्तव्यों को देखा है। प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता (युवा, वयस्क, संगठन, अनौपचारिक समूह) युवा अधिकार और कर्तव्यों की घोषणा का सह-लेखक होगा, जिसे 26 नवंबर, 2020 तक अंतिम रूप दिया जाएगा।

युवाओं के कर्तव्य और अधिकार

कर्तव्य | अधिकार

1

हर जगह / क्षेत्र में प्रक्रियाओं में नेतृत्व करने का कर्तव्य

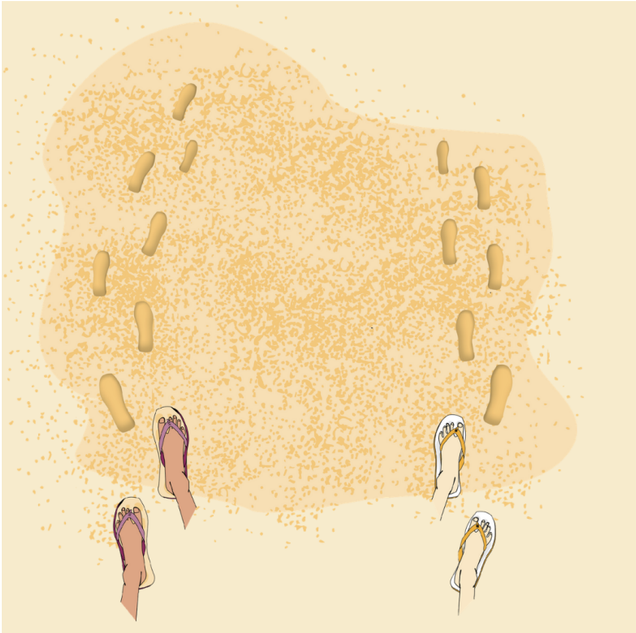

निर्देशक अभ्यास –

a) सामुदायिक समस्याओं का प्रभार लेना और यथास्थिति को चुनौती देना; दूसरों को संवैधानिक ढांचे के तहत ऐसा करने के लिए प्रेरित करना

b) प्रामाणिक जानकारी हासिल करना, और अपने काम के माध्यम से आशा के विचार का सह-निर्माण करना, अन्य युवाओं को सार्थक सहयोग बनाने के लिए ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना और उनका समर्थन करना

c) जीवन भर सीखने की दृष्टि के साथ नेतृत्व कौशल पर खुद को सशक्त और अधिकार युक्त बनाने के अवसरों की तलाश करना

निर्णय लेने और हर स्थान / क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का अधिकार

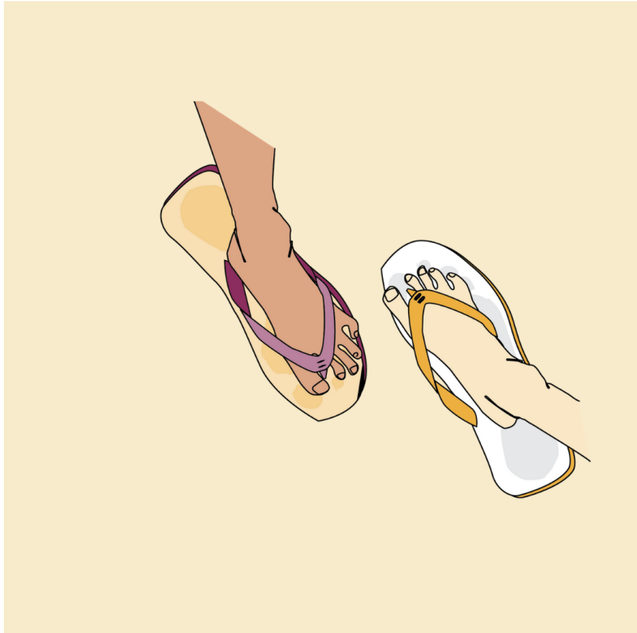

निर्देशक अभ्यास -

a) कॉर्पोरेट्स, राजनीतिक दलों, सरकारों, सीएसओ, शैक्षिक संस्थानों और सभी क्षेत्रों के संस्थानों / फर्मों में उनकी उच्चतम रणनीतिक और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में 35 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए % सीटें आरक्षित करना

b) बजटीय आवंटन के साथ-साथ सभी युवा-संबंधी नीतियाँ, बजटीय आवंटन और कौशल से जुड़ी रणनीतियां, एस.आर.एच.आर., शिक्षा आदि के बारे में युवाओं के प्रतिनिधि और संदर्भ समूहों के साथ सह-निर्णय लिया जाना

c) रिश्तों और यौन वरीयताओं, करियर के विकल्प, घरेलू मुद्दों आदि सहित उनके जीवन से संबंधित सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार और साथ ही सभी उन महत्वपूर्ण निर्णयों में अधिकार जो पूरे परिवार को प्रभावित करना

कर्तव्य | अधिकार

2

अतिसक्रिय होकर विभिन्न संबंध (सभी वर्ग, जाति, लिंग, विश्वास, यौन झुकाव, क्षमता, विचारधारा और दृष्टिकोण के साथ) स्थापित करने व पहचान के अन्तरानुभागीय को समझने तथा समुदाय के सदस्यों के बीच विभाजन और भेदभाव का रोज़ाना एक्शन्स से हल करने का और भाईचारा व सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का कर्तव्य

निर्देशक अभ्यास -

a) सभी वर्ग, जाति, लिंग, विश्वास, यौन झुकाव, क्षमता, विचारधारा और दृष्टिकोण आदि के लोगों के साथ दोस्ती करना, और साझा अनुभवों के माध्यम से लोगों के विभिन्न समूहों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में सामूहिक प्रयास करना।

b) रिश्तों में संघर्षों को प्रगति के साधन के रूप में स्वीकार करना; विविधता का निर्माण करना और सामाजिक विषमताओं को दूर करना

c) मिलकर आगे बढ़ने के बारे में बेहतर समझ बनाने और ध्रुवीकृत समूहों को एक साथ लाने के साधन के रूप में संवाद के लिए प्रेरिक करना

सामाजिक क्रिया के माध्यम से आत्म-खोज और आत्म-प्राप्ति के लिए सक्षम, विश्वसनीय और समावेशी स्थान बनाने का अधिकार

निर्देशक अभ्यास -

a) युवाओं के एकत्रित करने के लिए मिलकर नई जगह बनाना या पुरानी जगहों को बदलना और समाज यात्रा करने के लिए स्वयं को इस तरह आत्मनिर्भर बनना जैसे कि वे समावेशी हों, और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर डिज़ाइन किए गए हों

b) समुदायों को युवा लोगों के साथ इन स्थानों के सह-स्वामित्व के लिए प्रेरित करना

c) सामाजिक-राजनैतिक- आर्थिक बाधाओं के बिना सभी वर्ग, जाति, लिंग, विश्वास, यौन झुकाव, क्षमता, विचारधारा और दृष्टिकोण के साथ आदि को परे रखकर विविधता और जुड़ाव सुनिश्चित करना।

कर्तव्य

अधिकार

3

सामुदायिक सेवा के लिए स्वंयसेवा द्वारा सामाजिक परिवर्तन या प्रत्यक्ष सामुदायिक कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न होना होने का कर्तव्य

निर्देशक अभ्यास -

a) विश्व दृष्टिकोण का निर्माण करने का प्रयास करना और अलग-अलग दृष्टिकोणों के साथ सार्थक रूप से संलग्न होना तथा इस तरह के काम को सामाजिक विषय और बदलाव लाने के जुनून तक ले जाना

b) वातावण की सुरक्षा के लिए की गई गतिविधियों से जुड़ना और सम्पूर्ण प्रकर्ति (समस्त जातियों का आदर करना

c) जीवन और करियर की पसंद की योजना इस तरह बनाना कि व्यक्ति व्यक्तिगत प्रतिभा और कौशल की पेशकश कर सके और साथी मनुष्यों और ग्रह के लिए कल्याण से जुड़े पसंदीदा मुद्दों के लिए समय निकाल सके; उत्कृष्टता, उत्साह और चिंतनशीलता के साथ स्वयंसेवाकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना।

d) अन्य युवाओं के लिए उनके उपलब्ध समय में उनके जुनून के क्षेत्रों में पूरे दिल से स्वयंसेवा करने के लिए स्थान और परियोजनाओं का सह-निर्माण और पोषण करना; स्वयं और दूसरों की भलाई के लिए पोषण और प्रतिबद्धता; इसे सीखने के अनुभव के रूप में विकसित करें, जैसे कि सभी युवा जितना देते हैं, उससे अधिक या उतना ही वापस प्राप्त करते हैं और इस प्रकार जीवन भर के लिए स्वयंसेवक बन जाते हैं

किसी की पसंद के सतत आजीविका और उद्यमशीलता के अवसर का अधिकार, जो की पहचान की बाधाओं के पार हो

निर्देशक अभ्यास -

a) रोजगार के लिए कौशल और शिक्षा बजट का % , बेहतर शर्तें प्रदान करना और उद्यमिता विकास के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करें; स्थानीय भूगोल में, विभिन्न पहचानों का प्रतिनिधित्व करने वाले रोल मॉडल भी बढ़ाना

b) आकांक्षाओं और जरूरतों के आधार पर विभिन्न युवाओं और कंपनियों के साथ पाठ्यक्रम बनाने के लिए कौशल और व्यावसायिक संस्थान बनाना; जीवन क्षमता में वृद्धि और करियर काउंसलिंग अनुभव का हिस्सा होने के साथ-साथ उचित आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के अवसरों में परिपक्व होकर सीखने के लिए इंटर्नशिप के पर्याप्त अवसर देना।

c) जैव विविधता और पर्यावरण को समर्थन और पुनर्जीवित करने वाले आजीविका के वैकल्पिक रूप तलाशना; संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के साथ अच्छी नौकरियां

d) सभी वर्ग, जाति, लिंग, विश्वास, यौन झुकाव, क्षमता, विचारधारा और दृष्टिकोण व इनकी अन्तरानुभागीय की वजह से हुए भेदभाव के प्रति सकारात्मक कार्य करना

रचना : वार्तालीप गठबंधन

संस्थागत सदस्य

कम्युनिटी – द यूथ कलेक्टिव, अशोका इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक, अग्रणी, अक्षरा, एम्नेस्टी, आनंद निकेतन, अनाहद प्रवाह, आर्ट ऑफ प्ले, ऑडेशियस ड्रीम फाउंडेशन, आवाज़, ब्लू रिबन मूवमेंट, बॉस्को इंस्टीट्यूट, ब्रेकथ्रू, ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमेनिटी, सी ओ आ रओ, सी एस ई आई, सी वाई डी ए, फार्म2फूड फाउंडेशन, गांधी फेलोशिप, गूंज, ग्रीन हब, हैकरग्राम, हिमालया कलेक्टिव, आई ए बी टी, आई जी एस एस एस, इन्साइड नॉर्थ ईस्ट, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, आई एस डी एम, जय जगत, जन साहस, जन विकास, कल्पवृक्ष, मंज़िल, मिस्टिक्स, मिथिका, एम के एस एस, एमलक्ष्मी, मुश्त संस्थान, एन आई आई टी फाउंडेशन, नज फाउंडेशन, एन वाई ई एफ, ऑक्सफैम इंडिया, पीपल फॉर चेंज, पी एच एफ, पी एच आई ए फाउंडेशन, पी एल वाई सी, प्रांतकथा, प्रवाह, क्वैस्ट एलायंस, राइट वॉक, रूपांतरण, शीडू, स्टार्टअप इंडिया, सिनर्जी संस्थान, द लॉजिकल इंडियन, द ऑप्टिमिस्ट सिटिज़न, युनाइटेड वे, वयाली, विकल्प संगम, वी आर यंग फाउंडेशन, वी अनलर्न, यह एक सोच फाउंडेशन, यू कैन, कैन युथ, द वाईपी फाउंडेशन, युवा विकास, युवाह

व्यक्तिगत सदस्य

अनाहित मिनासियान, अरुण सदेहु, बिंदी धारिया, बिराज पटनायक, इवा वैलेंसटीनर, हरीश नटराजन, इंद्राणी सरकार, इंग्रिड श्रीनाथ, मौक्साडा सिंह, नगमा मुल्ला, नमन गोयल, पवन भाटिया, रमा राव वेडुला, रवि वर्मा, प्रेरणा कुमार, रुस्तक वानिया, शैलेंद्र शर्मा, शंकर वेंकटवेश्वरन, शिप्रा गुप्ता, शिवा नागराजन, शिवकुमार बाबू, उज्ज्वल ठक्कर, वेंकटेश श्रीनिवासन, विपुल मुद्गल, जुल्फिकार हैदर, आरती, अंजुम, बाल कुमारी, बिनांदन, खुर्शिदा, मुदिता जगोटा, प्रीति संध्या, शाहीन, सिद्धार्थ, स्वाति, ज़ाफरीन

आपकी प्रतिभागिता के सहारे हम इस सदस्यता अभियान को कई गुना बढ़ाने का इरादा रखते हैं।

मिशन से जुड़ें। जुड़ाव पत्र को यहाँ भरें।